IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
बुन्देलखण्ड वृत्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
बी–1 तालपुरा योजना, झाँसी

Email ID- circlebundelkhand@gmail.com

पत्र सं0– 880 /अधी0 अभि0बुन्देलखण्ड वृत्त/ ITC-3/16 दिनांक 05-12-2023

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू बिड पद्वति से आमंत्रित की जाती है, जो उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में निम्नांकित विवरण के अनुसार खोली जायेगी। निविदा प्रकाषित होने के बाद https://etender.up.nic.in पर समस्त विवरण आनलाइन उपलब्ध होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलेने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय विड का परिणाम भी https://etender.up.nic.in पर आन–लाइन उपलब्ध रहेगा।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य/फीस	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई–निविदा को डाउनलोड तथा अपलोड करने की तिथि	ई–निविदा की तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	खण्ड कार्यालय जहां निविदा खोली जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सख्या–3, झासी मे इलैविट्रक सब–स्टेशन भवन, केवल ट्रेन्च, बाउण्ड्रीवाल व अन्य निर्माण कार्य।	बी.ओ.क्यू. के अनुसार	70.00	1.40	3000.00 + 18% GST	03माह	दि0 08.12.2023 (05:00 PM) से दि0 28.12.2023 (03:00 PM) तक	दि0 28.12.2023 (03:30 PM)	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 बुन्देलखण्ड–01 झासी

धरोहर धनराशि एवं ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

1	खाता धारक का नाम :–	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–बुन्देलखण्ड–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी–1, तालपुरा योजना, झासी
2	बैंक का नाम / शाखा :–	PUNJAB NATIONAL BANK, CIVIL LINE, Jhansi
3	बचत खाता संख्या :–	3672005700000019
4	आई.एफ.एस.सी. कोड :–	PUNB0367200

ई–निविदा के संबंध में नियम व शर्ते :–

1. निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अगल आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनांक 28.12.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते मे जमा किये जाने होगें। यदि किसी ठेकेदार/ फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद मे) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप मे देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।
2. निविदा से संबंधित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग–अलग आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उक्त विवरण केअनुसार निर्धारित बैक खातें में जमा (Credit) होना आवश्यक है। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त वांछित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा, तथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र /धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
6. ई–निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड भी इसी बेवसाइट से किया जायेगा। सक्षम सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराये गये डिजिटल सिगनेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही आंनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
7. निविदा की वैधता ई–निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 माह की होगी, जिसके लिए निर्धारित ई–निविदा के साथ रू0 100.00 का नांन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रू0 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें, बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
10. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन हेतु नवीनतम् शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। अनुबंध गठन के समय रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
11. उ0प्र0 शासन के नवीनतम् शासनादेश के अनुसार कार्यो के डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि अन्तिम बीजक अथवा संबंधित विभाग को हस्तगन तिथि से जो भी पहले हो की तिथि से तीन वर्ष होगी।
12. निविदा के बी.ओ.क्यू. की दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित नही है। जी.एस.टी. के अलावा अन्य कर जैसे लेबर सेस, रायल्टी, इन्कम टैक्स इत्यादि सम्मिलित है जिसकी कटौती नियमानुसार भुगतान से कटौती की जायेंगी।

13. निविदाओं से संबंधित अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–बुन्देलखण्ड–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी–1, तालपुरा योजना, झासी के कार्यालय से देखी जा सकती है। निविदाओं की सूचना परिषद की बेवसाइट www.upavp.in पर देखी जा सकती है।
14. समस्त कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक बारचार्ट के अनुसार प्राप्त की जायेगी। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदादाता/फर्म को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति ई–निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है तथा उनके सभी देयको से आयकर, एवं अन्य कर जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाते है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
17. ई–निविदा स्वीकृति/अनुबंध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भू–माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी निविदा पर विचार नही होगा तथा उसे प्रदान किया गया अनुबंध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा उसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। परफोरमेंस गारंटी की ई–निविदा स्वीकृति के पूर्व जमा करना होगा।
18. उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग–2 पत्र संख्या–622/23–2012–2 आडिट/08 टी दिनांक 08.06.2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक–1282/एम.–2/ दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत 10प्रतिशत कम दरों तक 0.5प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर तथा 10प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो कार्य की वास्तवित समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) जमा के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। शासनादेश में निहित प्रकिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
19. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अतः ई–निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों पर स्वप्रमाणित कर हस्ताक्षर करने होगें, निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों को गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा, यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाला जायेगा। सुसंगत धाराओं में एफ.आइ.आर. दर्ज करायी जायेगी।
21. निविदादाता को ई–निविदा स्वीकृत की दशा में अनुबंध पूर्व ई–निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत (10प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–बुन्देलखण्ड–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी–1, तालपुरा योजना, झासी के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी अथवा ई–निविदा स्वीकृत अधिकारी द्वारा अनुमन्य सीमा तक जमा करनी होगी।
22. आवश्यकतानुसार अथवा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय सैम्पिल बाह्य संस्थान/लैब से कराने पर आने वाले व्यय की कटौती देयकों से की जायेगी।
23. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशो के अनुसार रायल्टी हेतु फार्म एम.एम–11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश सख्या–3385/86–2015–292/2015 दि0 15.10.15 के अनुपालन में फर्म/निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते है तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
24. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नही है उसकी ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की जनरल सिक्योरिटी होने पर धरोहर धनराशि में नियमानुसार छूट देय होगी।
26. यदि किसी कारणवश ई–निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो ई–निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
27. कराये जाने वाले कार्यो में मौके की स्थिति के अनुसार कार्य स्थल एवं कार्य की मात्रा/मदों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
28. सशर्त ई– निविदा मान्य नहीं होगी।
29. कार्य/अनुबंध का अन्तिम बीजक का निस्तारण कार्य की गुणवत्ता की जांच उपरान्त ही नियमानुसार किया जायेगा।
30. ठेकेदार ई–निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण यथा पहुँचमार्ग, पानी की उपलब्धता इत्यादि का आंकलन व निरीक्षण स्वयं भली–भॉति आवश्यक रूप से कर ले, इस संबंध में कोई क्लेम मान्य नही होगा।
31. ई–निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/दस्तावेजो के सत्यापन हेतु निविदा की बिड के उपरान्त खोलने मूल प्रति कमेटी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
32. कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त होगा।
33. समस्त कार्य शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा कोविड–19 हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में शत–प्रतिशत किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता

पृष्ठांकितः– 880 / Ac-3 उपरोक्तानुसार/ 16

दिनांक 05-12-2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना परिषद की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0बन्देलखण्ड–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, झांसी।
4. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता